न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी / अभियुक्तगण

1. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री गजे सिंह, मैनेजर, मैसर्स जय श्री जोधपुर स्वीट, रेवदर–मण्डार रोड़, पंचायत समिति के सामने, रेवदर, स्थाई पताः तिरसिंगडी सोढा, बाडमेर, राजस्थान
2. श्री राजेन्द्र सिंह, खाद्य कारोबारकर्ता, मैसर्स जय श्री जोधपुर स्वीट, रेवदर–मण्डार रोड़, पंचायत समिति के सामने, रेवदर, जिला– सिरोही

F.S.S.Act Case No. 09/2026

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा– 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

–: निर्णय :– **दिनांक 12 मई, 2026**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी अभियुक्तगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा दिनांक 19–9–2025 को मैसर्स जय श्री जोधपुर स्वीट, रेवदर–मण्डार रोड़, पंचायत समिति के सामने, रेवदर, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता महेन्द्र सिंह से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ खोया (लूज) का नमूना संख्या S-2815, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./1658/Act/2025/1658 दिनांक 16–10–2025 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी अभियुक्तगण पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी अभियुक्तगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 10–4–2026 व 05–5–2026 को प्रतिवादी संख्या 2 (दो) राजेन्द्र सिंह उपस्थित हुये। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 (एक) महेन्द्र सिंह को नोटिस की तामिल होने के बाद भी उपस्थित नही हुये। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 05–5–2026 को प्रतिवादी राजेन्द्र सिंह ने स्वयं की ओर से जबाव व प्रतिवादी महेन्द्र सिंह की ओर से जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण के निस्तारण का अनुरोध किया। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 12–5–2026 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी व प्रतिवादीगण उपस्थित नही हुये। अतः प्रकरण का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय किया जा रहा है।

(3) पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 19–9–2025 को समय 02–05 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स जय श्री जोधपुर स्वीट, रेवदर–मण्डार रोड़, पंचायत समिति के सामने, रेवदर, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी महेन्द्र सिंह पुत्र गजेसिंह राजपुरोहित, निवासी– तिरसिंगडी सोडा, बाडमेर उपस्थित मिले। श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स जय श्री जोधपुर स्वीट, रेवदर–मण्डार रोड़,

......पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

पंचायत समिति के सामने, रेवदर की दुकान के निरीक्षण के दौरान मैसर्स जय श्री जोधपुर स्वीट्, रेवदर–मण्डार रोड़, पंचायत समिति के सामने, रेवदर की दुकान के अन्दर एल्युमिनियम के बर्तन में लगभग 8 किलोग्राम खाद्य पदार्थ खोया (लुज) आम जन को विक्रय हेतु रखे हुए पाये, जिनमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता महेन्द्र सिंह को गवाह श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने मैसर्स जय श्री जोधपुर स्वीट्, रेवदर–मण्डार रोड़, पंचायत समिति के सामने, रेवदर के अन्दर एल्युमिनियम के बर्तन में आमजन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ खोया (लुज) में से 01 (एक) किलोग्राम खाद्य पदार्थ खोया (लुज) को तुलवाकर एक साफ, सूखे, खाली भिगोनें में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 480/– (रुपये चार सौ अस्सी मात्र) प्रतिवादी विक्रेता महेन्द्र सिंह पुत्र गजे सिंह को नकद अदा कर क्रय किया एवं खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा प्रतिवादी विक्रेता महेन्द्र सिंह पुत्र गजे सिंह व गवाह को चार साफ, सूखे व खाली प्लास्टिक की बोतलें/जार दिखाकर खरीदशुदा खोया (लुज) को हिला मिलाकर एकरुप किया एवं प्रतिवादी विक्रेता तथा गवाह के समक्ष खरीदशुदा खोया (लुज) को चारों प्लास्टिक की बोतलों/जारों में बराबर बराबर मात्रा में डाला एवं प्रत्येक नमूना बोतलों/जारों में फार्मेलीन की 20–20 बूंदे डालकर चारों नमूना बोतलों/जारों को अलग अलग ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने प्रतिवादी विक्रेता महेन्द्र सिंह पुत्र गजे सिंह व उक्त गवाह के समक्ष लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2815, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ खोया (लुज) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता महेन्द्र सिंह पुत्र गजे सिंह व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ खोया (लुज) के चारों नमूना प्लास्टिक बोतलों/जारों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया और खरीदशुदा खोया (लुज) के चारों नमूना बोतलों/जारों को अलग–अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता महेन्द्र सिंह पुत्र गजे सिंह व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता महेन्द्र सिंह पुत्र गजे सिंह व उक्त गवाह तथा श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुए है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां, दो लिफाफों में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने दिनांक 23–9–2025 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा, भावना, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर VI का सील बन्द

......पेज तीन पर

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 19—9—2025 को ही जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा मैसर्स जय श्री जोधपुर स्वीट्, रेवदर—मण्डार रोड़, पंचायत समिति के सामने, रेवदर, जिला— सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता महेन्द्र सिंह पुत्र गजे सिंह से खाद्य पदार्थ खोया (लुज) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ खोया (लुज) के नमूना संख्या S-2815 की प्राप्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./1658/Act/2025/1658 दिनांक 16—10—2025 में खाद्य पदार्थ खोया (लुज) का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मैसर्स जय श्री जोधपुर स्वीट्, रेवदर—मण्डार रोड़, पंचायत समिति के सामने, रेवदर की खाद्य पदार्थ विक्रय की अनुज्ञप्ति राजेन्द्र सिंह (प्रतिवादी संख्या 2) के नाम से जारी की हुई है, जो मैसर्स जय श्री जोधपुर स्वीट्, रेवदर—मण्डार रोड़, पंचायत समिति के सामने, रेवदर का खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईर है एवं प्रतिवादी महेन्द्र सिंह पुत्र गजे सिंह, उक्त फर्म मैसर्स जय श्री जोधपुर स्वीट्, रेवदर—मण्डार रोड़, पंचायत समिति के सामने, रेवदर में मैनेजर की है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी राजेन्द्र सिंह की फर्म मैसर्स जय श्री जोधपुर स्वीट्, रेवदर—मण्डार रोड़, पंचायत समिति के सामने, रेवदर, जिला— सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता महेन्द्र सिंह पुत्र गजे सिंह ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ खोया (लुज) (नमूना संख्या S-2815) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत शास्ति (Penalty) योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ खोया (लुज) (नमूना संख्या S-2815) के विक्रय हेतु प्रतिवादी राजेन्द्र सिंह, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स जय श्री जोधपुर स्वीट्, रेवदर—मण्डार रोड़, पंचायत समिति के सामने, रेवदर, जिला— सिरोही पर राशि रुपये 40,000/— (अक्षरे रुपये चालीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी राजेन्द्र सिंह, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स जय श्री जोधपुर स्वीट्, रेवदर—मण्डार रोड़, पंचायत समिति के सामने, रेवदर, जिला— सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये।

निर्णय/आदेश आज दिनांक 12 मई, 2026 को सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही
(न्याय निर्णयन अधिकारी)